

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 71/2019 केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 दिसंबर, 2019

सा.का.नि.____(अ).—केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम 2019, के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो अधिसूचना संख्यांक 31/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 द्वारा बनाया गया, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं० 457(अ) तारीख 28 जून, 2019, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, 1 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त नियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा.सं.20/13/01/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार